

कार्यालय उपनिदेशक पशुचिकित्सा पॉलीक्लिनिक
गोपीनाथ मार्ग, पांच बत्ती, जयपुर

क्रमांक

दिनांक

नीलामी की सूचना

इस कार्यालय में स्थित अनुपयोगी सामान का खुली नीलामी से निस्तारण दिनांक 24/2/2015 को प्रातः 11.00 बजे से किया जावेगा। शेष शर्तें पशुपालन विभाग की वेबसाईट एवं कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस समय पर देखी जा सकती है।

अनुपयोगी सामान का विवरण	पुस्तक मूल्य	धरोहर राशि
पशु चिकित्सा उपकरण फर्नीचर-लोहा/लकड़ी एवं अन्य सामान	रु. 3.70 लाख	रु. 7400/-

cd -

उपनिदेशक
पशुचिकित्सा पॉलीक्लिनिक, जयपुर

क्रमांक 11975-82

दिनांक 20/1/15

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशक पशुपालन विभाग, राज. जयपुर - नोटिस बोर्ड हेतु।
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना को एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित कराने का श्रम करावे।
4. अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
- ✓ 7. उपनिदेशक (एसीपी) को उक्त नीलामी की सूचना विभाग की वेब साईट पर प्रकाशित करने हेतु।

cd
उपनिदेशक

कार्यालय उपनिदेशक पशुचिकित्सा पॉलीक्लिनिक, जयपुर


क्रमांक

दिनांक

नीलामी की शर्तें

दिनांक 24/2/2015 को कार्यालय उपनिदेशक पशुचिकित्सा पॉली क्लिनिक, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर में आयोजित नीलामी की आवश्यक शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी से पूर्व धरोहर राशि कैशियर के पास जमा कराकर टोकन प्राप्त करना होगा। धरोहर राशि रू. 7400/- होगी। धरोहर राशि जमा नहीं कराने वाले को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। उक्त धरोहर राशि बोली समाप्त होने पर उच्चतम बोली दाता की राशि समायोजित कर दूसरे अधिकतम बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं को वापस लौटा दी जायेगी।
2. नीलामी अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीदाता के नाम छोड़ी जा सकेगी।
3. बोली निर्धारित दिनांक को 11.00 दोपहर प्रारंभ कर दी जायेगी।
4. नीलामी बोली के समय अवधि बढ़ाने का नीलामी समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
5. सवोच्चतम बोलीदाता को बोली की रकम पर नियमानुसार वेट एवं अन्य कर जो लागू हो बोली की राशि के अतिरिक्त जमा कराना होगा। बोली छूटने की राशि का 25 प्रतिशत उसी एवं शेष 24 घंटे के भीतर जमा करानी होगी।
6. नीलामी किया जाने वाला सामान जैसा है जिस स्थिति में है उसी स्थिति में विक्रय किया जावेगा।
7. नीलामी समाप्त होने पर उच्चतम बोलीदाता पूरी राशि जमा कराने के बाद ही सामान उठा सकता है। सामान उठाने के लिये कोई भी सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं होगी।
8. नीलाम किया हुआ सामान वापस नहीं लिया जायेगा।
9. नीलामी समिति को किसी कारणवश नीलामी निरस्त करने बोली अस्वीकार/स्वीकार करने के समस्त अधिकार होंगे एवं उसके लिये कारण स्पष्ट करने की बाध्यता नहीं होगी।
10. सफल बोलीदाता द्वारा सामान नहीं उठाने/क्रय करने की स्थिति में धरोहर एवं 25 प्रतिशत जमा राशि जब्त ली जावेगी एवं द्वितीय उच्च बोलीदाता को सामान का विक्रय किया जा सकेगा। द्वितीय उच्च बोलीदाता द्वारा भी सामान नहीं उठाने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।


उपनिदेशक